स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, स्वच्छता : गॉधी, अम्बेडकर एवं समसमायिक समाज एक दार्शनिक दृश्टिकोण

भाोधार्थी

अभय कुमार सेठ

भाोध निर्देशक-प्रो. अखिलेश्वर प्रसाद दुबे, विभागाध्यक्ष – दर्शन विभाग

डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय वि.वि. सागर (म.प्र.) 470003

रजि.न. Y154240063

Email–abhayipr@gmail.com

मो.न. – 7723963145

मुख्य बिन्दु –

प्राचीन काल से वर्तमान तक हम असभ्य से सभ्य समाज की ओर लगातार अग्रसर हो रहे है। जैसा की हम सभी बुद्धिजीवी यह महसू"ा कर रहे है कि स्वास्थ्य परम धन है तथा पर्यावरण और उसकी स्वच्छता एक अच्छे समाज और स्वास्थ्य के लिये जरूरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी और डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी को आज वर्तमान समसामायिक समाज की समस्याओं से तथा उनके विचारों को वर्तमान में आरोपित करने पर दा"ानिक दृष्टिकोण द्वारा हम यह प्राप्त करते है कि उन महापुरूषों ने जो जीवन जीने की कला तथा अंग्रेजी में कहावत भी है कि "जीवन संघर्ष है, जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए" इस प्रकरण से मैं यह बताने का प्रयास करना चाहता हूॅ कि "शरीर माध्यम, खलु धर्म साधनम्" अथार्त शरीर के स्वस्थ्य होने से ही हम किसी भी साधन का या उपागम का सदुपयोग कर सकते है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने एक जगह हरिजन लोगों को यह बताने का प्रयास किया है कि "आप लोगों को भी स्वच्छ, स्वस्थ्य, समानता और समाज में बराबर का दायित्व निर्वहन करना चाहिए।" यह विचार

महात्मा गॉधी से काफी मिलता जुलता है। महात्मा गॉधी जी ने कहा था कि "मानव को विचारों की शुद्धता की स्थापना के लिये नैतिकता की स्थापना जरूरी है"

स्वच्छता, स्वस्थ्यता दोनो ही एक सभ्य, संस्कृति, समृद्धि, और समाज के लिये आव"यक पहलू है। जो कि समसामायिक तथा प्रासांगिक है। इन विचारों के कारण हम उन महापुरूषों के विचारों को इस प्रकरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेगे।

स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण मानव जीवन जीवन का आधार है। यही कारण है कि सृष्टिरचना में जल, वायु, सूर्य, पृथ्वी और वनस्पति वैभिन्य तथा जीव विविधता की रचना के बाद मानव की सृष्टि की गयी। यद्यपि कि पर्यावरण एवं मानव का सम्बन्ध एवं पर्यावरण पर मानव की आश्रितता सृष्टि के प्रारम्भ से चली आ रही है और पर्यावरण विकास एवं सुधार के प्रयास होते रहे हैं, फिर भी इसकी वि"ोष्ट आव"यकता जनसंख्या विस्फोट एवं औद्योगिकरण के परिप्रेक्ष्य में महसूस की गयी। कारण यह है कि प्रकृति मानव की प्रत्येक आव"यकता को तो पूरा कर सकती है परन्तु वह मानव की प्रत्येक लोलुपता को पूरा नहीं कर सकती है। प्राकृतिक संसाधनों के बेतहा"ाा दोहन से पारिस्थैतिकी संकट, अति"ायवादी औद्योगिकरण से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण आदि की समस्याऍ बढती गयीं। द्वितीय वि"व–युद्ध के प"चात् अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की घोषणा की गयी और 1960 के द"ाक में पर्यावरण की मानवाधिकार के अंग के रूप में पहचान प्रारम्भ हुई। सन् 1972 में मानव पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रतिबद्धताऍ दोहरायी गयी। भारतवर्ष ने भी इन प्रतिबद्धताओं को अंगीकृत किया और संविधान के बयालीसवें सं"ोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 48–क के रूप में दे"ा के पर्यावरण की संरक्षा तथा उसमें सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा सम्बन्धी राज्य का नीति निदे"ाक तथ्व ओर अनुच्छेद 51 – क (छ) के रूप में नागरिकों का मूल कर्तव्य अधिरोपित किया गया कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखे।" संसद ने जल अधिनियम, 1974, वायु अधिनियम, 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण का प्रयास किया।

सन् 1987 में पर्यावरण एवं विकास पर वि"व आयोग ने हमारा सामान्य भविष्य प्रतिवेदन में पर्यावरण सम्बन्धी वै"वक समस्या के वि"वस्तरीय सर्वजन सहयोग से निवारण की बात की। उच्चतम न्यायालय ने एम.सी.मेहला बनाम भारत संध (दिल्ली पर्यावरण प्रदूषण मामला) में विभिन्न ि"क्षण संस्थाओं में माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य पर्यावरणीय ि"क्षा का निर्दे"ा जारी करते हुए, वि"वविद्यालय अनुदान आयोग से सिफारि"ा की कि वह पर्यावरण को कालेज तथा वि"वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य अध्ययन का विषय घोषित करने की सम्भावना पर विचार करे। वि"वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित ग्यारह सदस्यीय समिति ने सन् 1992 में रिपोर्ट ऑफ दी करीकुलम डेवलपमेण्ट सेन्टर इन लॉ नामक प्रतिवेदन दिया। विधि स्नातक स्तर पर वृहद् पर्यावरणीय पाठ्य–क्रम तैयार किया गया तथा स्नातकोत्तर विधि अध्ययन हेतु वैकल्पिक वर्ग इकोलॉजी नेचुरल रेसोर्सेज एण्ड लीगल आर्डर नाम से रखा गया। 1960 के द"ाक तक पर्यावरणीय समस्याएँ पूर्णतः स्पष्ट होकर चतुर्दिक् निराकरण की विषय – वस्तु बन गयी थीं। पृथ्वी ि"खर सम्मेलन–रियो–डि–जेनेरो सम्मेलन, ने पर्यावरण एवं विकास के तारतम्य में पोषणीय विकास और के सभी वर्गो के सहयोग के सहयोग से पर्यावरण समस्या के समाधान की प्रेरणा दी।

पर्यावरणीय विधि के अध्ययन की महत्ता एवं सामाजिक न्याय के वाहक के रूप में इसके प्रयोग की सम्भावना को देखते हुए 1990 के द"ाक के प्रारम्भिक वर्षो में बार कौंसिल ऑफ इण्डिया ने इसे विधि उपाधि हेतु विहित विषयों में वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन हेतु निर्धारित किया। परन्तु विषय की बढ़ती हुई लोकप्रियता, न्यायिक क्रिया"ाीलता एवं पर्यावरण जागृति की बलवती होती भावना के परिप्रेक्ष्य मे बॉर कौंसिल ऑफ इण्डिया ने सन् 1998–1999 से प्रारम्भ होने वाले नवीन पाठ्यक्रम में पर्यावरण–विधि को अनिवार्य विषय के रूप में विहित किया है।

बीसवी शताब्दी के अन्तिम तीन द"ाकों में स्वच्छ पर्यावरण के अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का अस्तित्व में आना पर्यावरणीय विधि संरक्षण की दि"ाा में एक नयी क्रान्ति को जन्म दिया है। इन दि"ाा में अनेक महत्वपूर्ण विधि साहित्य उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण को प्रभावित करने वाले पहले से सामान्य मानवाधिकार उपलब्ध रहे है, जैसे जीने का अधिकार, समुचित जीवन स्तर का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, आवास का अधिकार इत्यादि।

परन्तु मानवधिकारों की श्रेणी में पृथक स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार का जुडना एक वि"ाष्ट महत्व रखता है।

संयुक्त राष्ट्र के मानव पर्यावरण कान्फ्रेन्स 1972 की उद्देि"ाका में अंकित किया गया है कि मूल मानव अधिकारों के उपभोग के लिए पर्यावरण अत्याव"यक है। यही नहीं स्वयं जीवन के अधिकार के उपभोग के लिए भी पर्यावरण अत्याव"यक है। प्रथम सिद्धान्त में घोषणा की गयी कि मनुष्य का मूलभूत अधिकार एक ऐसे गुणात्मक पर्यावरण का है जिसमें गरिमायुक्त एवं सुखी जीवन की अनुमति के साथ स्वतंत्रता, समानता और रहन–सहन की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हों। 1970 के द"ाक के द्वितीय वर्ष में अपनाया गया मानव पर्यावरण दस्तावेज पारम्परिक अधिकारों की ही बात किया। परन्तु 1980 के द"ाक के राष्ट्रीय दस्तावेजों में भाषा बदलती गयी। अफ्रीकीय चार्टर ऑफ ह्यूमन ऐण्ड पीपुल्स राइट्स 1981 की अर्टिकिल 24 में स्पष्टतः घोषित किया गया कि सभी लोगों को उसके विकास के अनुकूल सामान्य संतोषप्रद पर्यावरण का अधिकर होगा। अमेरिकन कन्वेन"ान ऑन ह्यूमन राइट्स 1988 के अतिरिक्त प्रोटोकाल की आर्टिकिल 11 में घोषणा की गयी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ पर्यावरण में जीने का अधिकार होगा। यह भी घोषित किया गया कि पक्षकार राज्य पर्यावरण के संरक्षण पालन एवं उन्नति को प्रोसाहित करेंगे।

गंदगी आप करो या हम गंदगी की परिभाषा एक है।

गंदगी आपकी हो या मेरी हो, गंदगी की पहचान एक है।

सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, संस्कृतिक, मानसिक, धार्मिक, जातिगत, छुआछूत, वैचारिक व अन्य तरीके की गंदगी भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जिससे एक सभ्य समाज की स्थापना तथा अपने सपनों का भारत की वर्तमान में स्थापना की जा सके एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपने दे"ा की अस्मिता के साथ किसी तरह का भेद भाव न हो।

वर्तमान सरकार भी **स्वच्छता से समृद्धि** की पहल को आयाम दे रही है। यहॉ मैं स्वच्छ मध्यप्रदे"ा के कुछ ऑकडों को परिलक्षित कर रहा हूँ।

स्वच्छ मध्यप्रदे"ा –

- मध्यप्रदे"ा में 54 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों में शौचालय बने।
- 2400 से ज्यादा ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त।
- सभी स्कूलों एवं आंगनवाडी में शौचालय निर्माण प्रगति पर।
- दो अक्टूबर 2019 तक सभी घरों में होंगे शौचालय।
- इंदौर जिला दे"ा में स्वच्छता में दूसरे नम्बर पर।

श्री ि"ावराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदे"ा शासन

गॉधी जी के अनुसार स्वच्छता राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। समाज में सभी के लिए समान स्तर पर स्वच्छता की आव"यकता है जिसके द्वारा आद"ा ग्राम स्वराज का महत्वपूर्ण गुण है। पारिस्थितिकीय एवं स्वच्छता अम्बेडकर की दृष्टि में अस्मिता एवं विकास से अंतः सम्बन्धित है। एक स्वस्थ्य पर्यावरण एवं समुचित स्वच्छता, मानव जाति की अस्मिता, मानव विकास एवं स"ाक्तिकरण के लिए आव"यक है।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूॅ कि यह भावना सही नहीं है कि समाजिक समस्यायें स्वयं ही अपना निवारण कर लेगीं। वर्तमान युग मे यह मानना कि समय अपने आप सारी समस्याओं का समाधान कर देगा कल्पित, अयर्थात और अवास्तिविक है यह अकर्मण्यता को केवल भ्रामक रूप से तार्किक बनाना है। वास्तव में यह भावना निधनता, प्रदूषण और गंदगी जैसी समस्याओं को अधिक विकराल बना सकती है। उदाहरण के लिये सांस लेने के लिये दिल्ली में केवल जहरीली ऑक्सीजन ही बची हुई है जो कि आज एक विकराल समस्या बनी हुई है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. डी.एन. मजूमदार, भारतीय जन संस्कृति, अपाला प्रका"ान, 1985, पृ.स. 84
2. डॉ. राधाकृषणन, प्राच्य धर्म और भारतीय संस्कृति, सर्वसेवा संघ प्रका"ान, 1998 पृ.स. 65
3. य"ादेव शलय, संस्कृति मानव कृति की व्याख्या, लोकभारतीय प्रका"ान, 2010
4. डॉ. राम"ाकल पाण्डेय, वि"व के श्रेष्ठ ि"ाक्षा–"ाास्त्री, अग्रवाल पब्लिके"ान, 2011

5. Benjamin Ward, What is wrong with Economics? New York : Basic Book 1972 p.229.